

प्रारूप-स

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना आयोग द्वारा लोक प्राधिकरणों में नामित सूचना अधिकारियों पर अरोपित अर्थदण्ड का विवरण

माह का नाम- फरवरी, 2024

क्र०	विभाग का नाम	जनन-सूचना अधिकारी का विवरण जिसके लिए दण्ड दण्ड परित करना गया	दण्ड परित करने का दिनांक	दण्ड से निहित धनराशि	पारित दण्ड के विभाग विभाग द्वारा जन-सूचना अधिकारियों के विरुद्ध द्वारा वसूल की गयी धनराशि की अनुशासनिक कार्रवाही की स्थिति (यदि कोई हो)	विभाग द्वारा जन-सूचना अधिकारियों के विरुद्ध द्वारा वसूल की गयी कार्रवाही	अध्यक्षित
1	2	3	4	5	6	7	8
01	राज्य कर विभाग, मुद्राबाद जोन, मुद्राबाद	श्री रमा शंकर, उपायुक्त राज्य कर	11-07-2018	₹0 5,000/-	श्री ब्रह्मवीर तिहं द्वारा भांगी गयी जनसूचना के सम्बन्ध में माननीय राज्य सूचना आयोग लखनऊके द्वारा दिनांक - 11-07-2018 द्वारा तत्कालीन डिप्टी कमिशनर (प्रशासन) वाणिज्य कर, मुद्राबाद पर बाही को सूचना उपलब्ध न करने के सम्बन्ध में कातिपूरि ₹0- 5000.00 का वर्षदण्ड दिनांक 11-07-2018 को हिन्दी कमिशनर (प्रशासन) वाणिज्य कर मुद्राबाद पर लगाया गया है, जिसके सम्बन्ध में तत्कालीन डिप्टी कमिशनर के बेतत से उक्त कातिपूरि बनारासि रखने 5000-00 की कटौती हेतु डिप्टी कमिशनर (प्रशासन) वाणिज्य कर इतावा को डिप्टी कमिशनर (प्रशासन) वाणिज्य कर मुद्राबाद के पन संख्या- 2905 दिनांक 13-03-2020 द्वारा शिपूर्सी की धनराशि के जमा के साक्ष्य उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। सूचना प्राप्त न होने की दशा में डिप्टी कमिशनर (प्रशासन) वाणिज्य कर मुद्राबाद के पन संख्या- 1931 दिनांक 01-02-2021 द्वारा डिप्टी कमिशनर (प्रशासन) वाणिज्य कर इतावा को अनुस्तर प्रेचित कर दिया गया है, जिसके क्रम में डिप्टी कमिशनर (प्रशासन) वाणिज्य कर इतावा द्वारा तत्कालीन डिप्टी कमिशनर (प्रशासन) वाणिज्य कर मुद्राबाद को अपने पन संख्या- 305 दिनांक 18-02-2021 द्वारा उपरोक्त धनराशि जमा करने हेतु निर्देशित किया गया है। अर्थदण्ड जमा न होने की दशा में डिप्टी कमिशनर (प्रशासन) वाणिज्य कर मुद्राबाद के पन संख्या 458 दिनांक 28-06-2021 द्वारा तत्कालीन डिप्टी कमिशनर को अर्थदण्ड जमा करने की अपेक्षा की गयी है, जिसके क्रम में तत्कालीन डिप्टी कमिशनर (प्रशासन) वाणिज्य कर	पारित दण्ड के बारे में विभाग द्वारा की गयी कार्रवाही	प्रारूप-स

02	राज्य कर विभाग, मुरादाबाद जोन, मुरादाबाद	श्री दिव्यमूर्ति, कार्यालय राज्य कर अधिकारी खण्ड-1 विजनौर	16-07-2018 अधिरोपित अर्थदण्ड जमा कराये जाने हेतु सम्बन्धित खण्ड के डिप्लिमो को इस स्तर से पन स0 1153 दि0 01-03-2023 प्रेषित किये गये हैं।	रु0 25000.00 मानीय जिलाधिकारी विजनौर के पन संख्या- 220 दिनांक 24-02-2020 जो इस कार्यालय को दिनांक 25-02-2020 को प्राप्त हुआ है। के दवारा जानकारी मिली है। अर्थदण्ड समाप्ति हेतु इस स्तर से मानीय सूचना आयुक्त के समक्ष प्रत्यावेदन पन संख्या- 589 दिनांक 25-02-2021 से किया गया है। जो भा० राज्य सूचना आयोग में लिखित है। इस कार्यालय दवारा उपायुक्त राज्य कर, खण्ड-2 नजीबाबाद महोदय को पनक 801 दिनांक 17-02-2022 लिखा गया तथा श्री दिव्यमूर्ति, उपायुक्त राज्य कर, खण्ड-4, मेरठ महोदय को पन स0 140 दि0 09-05-2014 व पन संग- 1151 दिनांक 01-03-2023 को अर्थदण्ड जमा कराने हेतु प्रेषित किये गये हैं।

03	राज्य कर	श्री राजेश कुमार, डिप्टी कमिशनर(कर0वा0)/ अधिकारी, वारोका० गाजियाबाद	15.11.2017	25000.00	00	कोई नहीं	मात्र 30प्र० राज्य सूचना आयोग के समझ वाल संख्या-एस-10-2849/ए/2016 पुनः वाल संख्या- एस-1083/पुनः/2018 श्री जगजीत सिंह, एच-34, नेहरू नार-3, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में मात्र 30प्र० राज्य सूचना आयोग, गोमती नाम, लखनऊ द्वारा अपने अधिकारी पत्र सूचना गणिस्ट्राइर उत्तर प्रदेश सूचना आयोग, गोमती नाम, लखनऊ द्वारा अपने अधिकारी, गाजियाबाद को० 10356/रा०.सू.आर०शास्ति अनु०/रजिस्ट्रा०/2018 दिनांक 07.09.2018 से जिलाधिकारी, गाजियाबाद के संबंधित प्रेषित किया गया है। उपरोक्त आदेश के संबंध में संबंधित जनसूचना अधिकारी ने विनांक 28.11.2018 को एक आवेदन पत्र उपरोक्त आदेश पर पुनर्विचार हेतु प्रस्तुत किया गया, जिसके क्रम में आदेश दिनांक 24.12.2018 द्वारा उपरोक्त आदेश का कार्यान्वयन स्थगित किया गया। मात्र 30प्र० राज्य सूचना आयोग ने वाल एस-10/101/पुनः/2018 तथा अपील सख्ता-एस-10/1867/ए/2015 के संबंध में आदेश दिनांक 08.08.2022 पारित करते हुए उपरोक्त आदेश विनांक 28.02.2018 को वापस कर लिया गया है तथा अपील निस्तारित कर दी गयी है। रजिस्ट्राइर उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग 7/1/ए RTI भवन विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ ने नोटिस सख्ता-एस-9321/शा०.अनु०/2024 जिला अधिकारी गाजियाबाद को सम्बोधित करते हुये याची श्री मुश्वर कुमार व आदेश दिनांक 08.08.2022 पारित करते हुये याची श्री मुश्वर कुमार व जनसूचना अधिकारी को पृष्ठाकृत है तथा जिलाधिकारी, गाजियाबाद महोदय को अपास्तिकरण के आदेश के प्रति उक्त पत्र नोटिस के साथ संलग्न करते हुये आवश्यक कारबही करने के लिये प्रति प्रेषित किया गया है।
04	राज्य कर	श्री जेपीसिंह, सेप्टिं हिंदी कमिशनर (प्रश्ना) / तत्कालीन जनसूचना अधिकारी, वारोका० गाजियाबाद	27.01.2016	25000.00	00	कोई नहीं	मात्र 30प्र० राज्य सूचना के वाल संख्या- एस-10-1867/ए/2015 में आदेश दिनांक 28.02.2018 पारित करते हुये संबंधित अधिकारी पर अर्थदण्ड आरोपित करने का आदेश नामक द्वारा अपने अधिकारी पत्र सूचना गणिस्ट्राइर उत्तर प्रदेश सूचना आयोग, गोमती नाम, लखनऊ द्वारा अपने अधिकारी, गाजियाबाद को० 10356/रा०.सू.आर०शास्ति अनु०/रजिस्ट्रा०/2018 से जिलाधिकारी, गाजियाबाद के संबंधित प्रेषित किया गया है। यह पत्र https://upic.gov.in पर उपलब्ध है। उपरोक्त आदेश के संबंध में संबंधित जनसूचना अधिकारी ने विनांक 28.11.2018 को एक आवेदन पत्र उपरोक्त आदेश पर पुनर्विचार हेतु प्रस्तुत किया गया, जिसके क्रम में आदेश दिनांक 24.12.2018 द्वारा उपरोक्त आदेश का कार्यान्वयन स्थगित किया गया। मात्र 30प्र० राज्य सूचना आयोग ने वाल एस-10/101/पुनः/2018 तथा अपील सख्ता-एस-10/1867/ए/2015 के संबंध में आदेश दिनांक 08.08.2022 पारित करते हुए उपरोक्त आदेश विनांक 28.02.2018 को वापस कर लिया गया है तथा अपील निस्तारित कर दी गयी है। रजिस्ट्राइर उत्तर प्रदेश भवन विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ ने नोटिस सख्ता-एस-9321/शा०.अनु०/2024 जिला अधिकारी गाजियाबाद को सम्बोधित करते हुये याची श्री मुश्वर कुमार व आदेश दिनांक 08.08.2022 पारित करते हुये याची श्री मुश्वर कुमार व जनसूचना अधिकारी को पृष्ठाकृत है तथा जिलाधिकारी, गाजियाबाद महोदय को अपास्तिकरण के आदेश के प्रति उक्त पत्र नोटिस के साथ संलग्न करते हुये आवश्यक कारबही करने के लिये प्रति प्रेषित किया गया है।
05	राज्य कर	श्रीमती सरिता सिंह, तत्कालीन जनसूचना अधिकारी/डिप्टी कमिशनर (प्रश्ना) वारोका० शासी।	22.11.2012	25000.00	00	श्रीमती सरिता सिंह, जवाह॑न्ट कमिशनर (कार्यपालक)	श्रीमती सरिता सिंह, जवाह॑न्ट कमिशनर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, सभाग- बांदा तत्कालीन जनसूचना अधिकारी/ डिप्टी कमिशनर (प्रश्ना) वाणिज्य कर, सभाग- बांदा तत्कालीन जनसूचना अधिकारी/ डिप्टी कमिशनर (प्रश्ना) वाणिज्य कर, शासी द्वारा अपने कार्यालय के पत्र संख्या- 975 दिनांक 23.11.2019 से अवगत कराया गया है कि अपने कार्यालय के पत्र संख्या- 975 दिनांक 23.11.2019 से अवगत कराया गया है कि उक्त प्रत्यावेदनपत्र मात्र 30प्र० राज्य मुख्य सूचना अवयवत्, अनु० 20प्र० लखनऊ के सम्पर्क अपील राज्य सूचना आयुक्त 30प्र० लखनऊ के सम्पर्क अपील क्रमांक- 104002 दिनांक 20.03.2018 द्वारा की गयी है जो वर्तमान में लाग्तवत है।
06	राज्य कर	श्री चन्द्रशेखर चार्मा				निल	

(कमलेश कुमारी)
उपर्युक्त (जनसूचना/आई.पी.आर.एम.)
राज्य कर, जुलाई, लखनऊ।